

डाकरी सं. 1816 / मुआ (रू/प्र/सं)
दिनांक 23/12/19

1

प्राधिकृत संख्या-595/2018-19

डाकरी सं. 64 / मुआ (रू/प्र/सं)
दिनांक 23/12/19 लखनऊ

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्यय अनुभाग)
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश।

संख्या: जी-690/आई0बी0/108बी0-22ए/अनु0-94/पूजीलेखा
कार्यालय झाप

लखनऊ दिनांक: 28 दिसम्बर 2018

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय में अनुदान संख्या: 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा के अन्तर्गत शासनादेश सं0-260/2018/3067/18-27-सि0-4-80 (डब्ल्यू)परि0/2015, दिनांक 24.12.2018 द्वारा "जनपद बिजनौर में चौ0 चरण सिंह मध्य गंगा बैराज, बिजनौर के दायें एफलक्स बंध एवं उसके सेवानार्ग के किमी0 0.000 से किमी0 3.850 तक पुनर्स्थापना की परियोजना" हेतु प्राविधानित बजट की धनराशि रु0 108.52 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय किये जाने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है:- (आकड़े लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद	मुख्य अभियन्ता का नाम	प्रदोषित धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 22-मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण (प्राणियिक) 051-निर्माण 10-नहरें 1014-सम्बद्ध कार्य 24-बृहत्त निर्माण कार्य	(मध्य गंगा नहर परियोजना) अलीगढ़	108.52

(रुपया एक करोड़ आठ लाख बावन हजार मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय झापो एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक- 01 से 14 तक दिये नियमों/शर्तों का अक्षरानुपालन किया जाय।

विनय कुमार राठी
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या जी-690/(1)/आई0बी0/तददिनांक- 28/12/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- उप सचिव, सिंचाई एवं जल ससाधन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (रुहेलखण्ड) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, बरेली को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 5- मुख्य अभियन्ता (अशिम नियोजन) सि0 वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (अनुभवण)/भूतला प्रणाली संगठन) सि0 वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (मध्य गंगा नहर परियोजना) सिंचाई विभाग उ0प्र0 अलीगढ़ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 8- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 9- अधिशासी अभियन्ता (बजट) सि0वि0, उ0 प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 10- प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 11- कट फाईल।

अभिमान

SS (C) 23/12/19

(अशाक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता (बजट)
केंद्र प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।